सविता बनाम अजीत कौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा

प्रकरण संख्या .....54/2023 उ.प्र

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे विव
	12.8.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 18.9.25 को पेश हो।	
	18.9.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 06.11.25 को पेश हो।	
	06/11/25	पत्रा० पेश। व०उ०प०उप०। अपील T.I. के पक्षकार अजीत Adv को अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	
	20/11/25	पत्रा० पेश। व०उ०प०उप०। प्रतिवादी Adv के पक्षकार को अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने के कारण मजमून R. 01 से 04, 06, 08, 18, 19, 21 का पक्षकार T.I. बंद किया जाता है। व०उ० प० की उ.प्र T.I. पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः मूलवाद का फैसला होने तक उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि आ.वि.न. 1248/08 वाले मौजा आनावास तह. पावटा स्थित आराजी का कोई क्रय विक्रय की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रा० फैसला हमारे द्वारा डिक्री नम्बर से कम हो बाद प्राविधि उपलब्ध हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	